



2026:AHC:15743

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1961 सन् 2026

शिवप्रसाद मौर्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुनील कुमार तिवारी, विकास कुमार तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील गोला, जिला गोरखपुर को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत वाद संख्या 4897/2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202205310704897) (शिव प्रसाद मौर्य और अन्य बनाम गांव सभा) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

(3). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर समाप्त की जाएगी।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि बीत चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील गोला, जिला गोरखपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"